संख्या–५१७९ /38–7–2009– एनआरईजीए/09

प्रेषक,

आर0 पी0 सिंह
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यकम समन्वयक/जिलाधिकारी,
जनपद–उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2009

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों की सहभागिता में वृद्वि करने हेतु विशेष अभियान।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की समीक्षा के दौरान योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा इस बिन्दु पर चिन्ता व्यक्त की गयी है कि उत्तर प्रदेश में कुल बी0पी0एल0 परिवारों के सापेक्ष नरेगा योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये गये परिवारों की संख्या माह अगस्त तक मात्र 25 प्रतिशत ही है। यदि वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 1 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है, जबकि माह अक्टूबर तक मात्र 32 लाख परिवारों को ही योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया गया है। वर्ष 2009–10 के लेबर बजट/कार्य योजना के अनुसार 61.68 लाख परिवारों को लाभान्वित कराया जाना है, जिसके सापेक्ष अभी लगभग 29 लाख परिवारों को लाभान्वित कराया जाना शेष है। उक्त के दृष्टिगत यह अपेक्षा है कि ग्राम पंचायतों के लेबर बजट के सापेक्ष परिवारों का आच्छादन बढ़ाया जाए तथा विशेष रूप से बी0पी0एल0 परिवारों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक बी0पी0एल0 परिवार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड निर्गत किया जाना अनिवार्य किया जाए।

2– इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का प्रतिशत 56 प्रतिशत है। इस दिशा में और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति का आच्छादन बढ़ सके। अतः यह उचित होगा कि जिन ग्राम पंचायतों अथवा बस्तियों में अनुसूचित जातियों की कम सहभागिता है वहां सघन अनुश्रवण कर तथा विशेषकर दलित बस्तियों में उन्हें योजनान्तर्गत सहभागी बनाया जाए तथा कार्य हेतु प्रेरित किया जाए।

3– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम एवं दिशा निर्देशिका में यह प्राविधान है कि योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने में महिलाओं को एक तिहाई प्राथमिकता प्रदान की जाए, परन्तु राज्य स्तर की माह अक्टूबर की प्रगति के आधार पर मात्र 19 प्रतिशत की सहभागिता हो सकी है। यह प्रतिशत भी बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल मण्डल के जनपदों द्वारा अच्छी प्रगति अर्जित करने का परिणाम है। कतिपय जनपदों की प्रगति 5 प्रतिशत से भी कम है, जो चिंता का विषय है। इस संबंध में शासनादेश संख्या–27/38–7–08, दिनांकः 07–01–2008 तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास के परिपत्र

संख्या–535/पी0ए0–आ0/09, दिनांकः 14–11–2009 द्वारा भागीदारी बढ़ाये जाने पर जोर दिया गया है, जिसका परिपालन आवश्यक है।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराये तथा प्रभावी अनुश्रवण करके उपर्युक्त श्रेणी के परिवारों का आच्छादन एवं योजनान्तर्गत उनकी सहभागिता में अपेक्षित वृद्धि करते हुए रोजगार का अवसर मुहैया करायें ताकि अवशेष माह में अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

भवदीय,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

संख्या– 4178 (1)/38–7–2009 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।